2021/64 जयनारायण / स्टेट

ऐसीस्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं होने के फलस्वरूप अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर मिसल दिनांक 01–04–2021 को पेश हो।

(पुष्पा सत्यानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

1-4-21 अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर दिनांक 9-6-21 को पेश हो

9-6-21 बार ने कार्य स्थगित कर रखा है। पूर्व आदेश की पालना की जाकर दिनांक 18-8-21 को पेश हो।

30-6-21 पत्रावली अभिभाषक अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। अभि. अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि वे अपील विड्रा करना चाहते हैं। चूंकि अपीलांट स्वयं अपील विड्रा करना चाहते हैं। अतः अपील विड्रा किये जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार होने बाद नाथिल व नामकरण दाखिल करना हो

Identified by me
R.S. Bhati
28.6.21

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.08.02 14:46:01 IST
Reason: SelfAttested